CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 347 ▫ रायपुर, रविवार 11 जनवरी 2026 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

आस्था, साहस और पुनर्निर्माण का अद्‌भुत उत्सव है सोमनाथ : मोदी

108 घोड़े, शंख-डमरू की गूंज

■ प्रधानमंत्री गुजरात के सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व में हुए शामिल

नई दिल्ली, 11 जनवरी (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. सोमनाथ में 'स्वाभिमान पर्व% में उन्होंने हिस्सा लिया. शौर्य यात्रा में और मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, यह विजय और पुनर्निमाण का है. हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है. आक्रांता आते रहे लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः स्थापित होता रहा, इतनी सदियों का संघर्ष, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का यह जीवट, दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बार-बार मन में प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 वर्ष पहले, ठीक इसी जगह पर क्या माहौल रहा होगा?... अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपने महादेव के लिए हमारे पुरखों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया. 1000 साल पहले वह आक्रंता सोच रहे थे कि हमें जीत लिया कि आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है... यहां का कण-कण वीरता और साहस का साक्षी है. इस आयोजन में गर्व, गरिमा, गौरव है. इसमें गरिमा का ज्ञान, वैभव की विरासत, अध्यात्म की अनुभूति है. इसमें अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता है और सबसे बढ़कर महादेव का आशीर्वाद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह समय अद्भुत है, यह वातावरण अद्भुत है, यह उत्सव अद्भुत है. एक ओर स्वयं महादेव दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की यह गूंज, आस्था का यह उफान और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति यह इस अवसर को दिव्य, भव्य बना रही है. मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला है।

राजनीतिक दलों को चुनाव याचिका में नहीं बना सकते पक्षकार, विधायक के निर्वाचन को दी गई है चुनौती

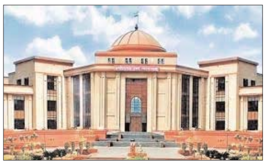

बिलासपुर, 11 जनवरी (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट ने जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। इस सन्दर्भ में जस्टिस एन. के चंद्रवंशी ने कहा कि चुनाव याचिकाओं में राजनीतिक दलों को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर राजनीतिक दलों के नाम को पक्षकारों की सूची से हटाने का निर्देश दिया है। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ सरोज कुमार चंद्रा व अन्य ने चुनाव याचिका दायर की है। दायर याचिका में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पक्षकार बनाया है। एआईसीसी व पीसीसी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि चुनाव याचिकाओं में राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने का कोई नियम नहीं है। अधिवक्ता दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए चुनाव याचिका से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम को पक्षकार की सूची से हटाने की मांग की। अधिवक्ता संदीप दुबे ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 82 में यह निर्दिष्ट है कि चुनाव याचिकाओं में कौन-कौन से पक्षकार आवश्यक हैं। इसमें राजनीतिक दलों को चुनाव याचिकाओं में पक्षकार के रूप में शामिल करने का प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने इन याचिकाओं को नियमों के अनुपालन न होने के आधार पर दायर किया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2019) 3 एससीसी 224 मामले में जारी निर्देशों का हवाला देते हुए अधिवता संदीप दुबे ने कहा कि उपर्युक्त मामले में या किसी अन्य मामले में भी, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं माना है कि कोई राजनीतिक दल चुनाव याचिका का अनिवार्य पक्षकार होगा। रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोरा और अन्य (2020) 3 एससीसी 733 मामले में,सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि किसी उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास का खुलासा न करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना ??होगी। लेकिन केवल इसी आधार पर किसी राजनीतिक दल को अनिवार्य पक्षकार नहीं माना जा सकता। जैजैपुर विधायक बालोश्वर साहू की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव ने अधिवक्ता संदीप दुबे द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन किया।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन (उपरोक्त) मामले में जारी निर्देशों का पालन राजनीतिक दलों को भी करना था और इनका पालन न करना भ्रष्टाचार का अपराध माना जाएगा। अधिवक्ताओं ने कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और अन्य (2015) 3 एससीसी 467 मामलों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। जस्टिस चंद्रवंशी ने अपने फैसले में कहा है, भारतीय जनवादी अधिनियम, 1951 की धारा 82 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि चुनाव याचिका में प्रतिवादी के रूप में कौन शामिल होगा। भारतीय जनवादी अधिनियम, 1951 की धारा 82 में यह स्पष्ट है कि जहां याचिकाकर्ता, सभी या किसी भी निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करने के अलावा, यह घोषणा भी चाहता है कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हुआ है, तो याचिकाकर्ता के अलावा सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार; और जहां ऐसी कोई अतिरिक्त घोषणा नहीं मांगी जाती है, तो सभी निर्वाचित उम्मीदवार;कोई अन्य उम्मीदवार जिसके खिलाफ याचिका में किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए गए हों। उपरोक्त प्रावधान का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी उम्मीदवारों के राजनीतिक दलों को पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

महादेव सट्टा केस के आरोपी एएसआई को हाई कोर्ट से मिली राहत

महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में आरोपी एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. एएसआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट जज पार्थ प्रीतम साहू ने आदेश दिया कि आपराधिक केस लंबित रहने तक विभागीय जांच नहीं चलेगी. रायपुर में पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर पदस्थ रायपुर निवासी चंद्रभूषण वर्मा के खिलाफ ऑनलाइन सट्टा केस में अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चार्जशीट पेश किया गया था, जिसके बाद 26 सितम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर द्वारा चंद्रभूषण वर्मा के विरुद्ध विभागीय आरोप पत्र जारी कर मामले में विभागीय जांच कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई. विभागीय जांच के खिलाफ एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर किया गया था. अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव साहू ने हाई कोर्ट में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट दिए गए न्यायदृष्टांत का उल्लेख किया कि किसी शासकीय कर्मचारी के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में उक्त शासकीय कर्मचारी के विरूद्ध विभाग द्वारा समान आरोपों एवं समान अभियोजन साक्षियों को रखते हुए विभागीय जांच कार्यवाही नहीं की जा सकती है.

ब्रेकिंग न्यूज

बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर ही मौत

रायपुर, 11 जनवरी (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर में सुसाइड का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. राजेंद्र नगर इलाके में युवक ने बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान असलम अंसारी के रूप में हुई है. वह मध्यप्रदेश के रीवा का निवासी है. जानकरी के मुताबिक, न्यू राजेन्द्र नगर इलाके में डॉल्फिन कॉलोनी में युवक ने 8 वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. मृतक की पहचाल रीवा, मध्यप्रदेश निवासी असलम अंसारी (27 साल) के रूप में हुई है. घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल युवक ने आत्महत्या का फैसला क्यों किया, इसकी जांच जारी है. बता दें कि राजेंद्र नगर थाना इलाके में 1 हफ्ते के भीतर यह आत्महत्या का दूसरा मामला है. इससे पहले अमलीडीह के मारुति रेजिडेंसी में 18 साल की हनीफा उर्फ अनिमा पटेल ने सुसाइड किया था.

भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया : नवीन पटनायक

नई दिल्ली, 11 जनवरी (न्यूज चैनल)। बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने ओडिशा सरकार पर किसानों के साथ ''धोखा'' करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को अपनी धान की फसल सरकारी मंडियों में बेचने के लिए खुले आसमान के नीचे ठंडी रातें बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है। पटनायक ने आरोप लगाया, ''राज्य में धान खरीद की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। इससे किसान शोषित और बेबस महसूस कर रहे हैं और सरकार से ही निराश हो गए हैं। कड़ाके की ठंड में किसान मंडियों में अपनी मेहनत की फसल की रखवाली करते हुए रातें गुजार रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि अब किसान राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और धान की सुचारू खरीद की मांग कर रहे हैं। पटनायक ने सवाल किया, ''आखिर सरकार किसानों का धान कब खरीदेगी?'' उन्होंने ये आरोप एक दिन पहले भी लगाए थे और 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति को लेकर लोगों को हो रही परेशानियों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था।

पाकिस्तान में हिंदू किसान की हत्या

नई दिल्ली, 11 जनवरी (न्यूज चैनल)। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जमींदार ने अपनी जमीन पर झोपड़ी बनाने के कारण 23 वर्षीय हिंदू किसान की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद हिंदू समुदाय ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। बदीन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कमर रजा जसकानी ने बताया कि पुलिस ने शनिवार रात हैदराबाद से मकान मालिक सरफराज निजामानी और उसके सहयोगी जफरुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। बदीन जिले के तलहार गांव में आश्रय के लिए निजामानी की जमीन पर एक झोपड़ी बनाने के आरोप में चार जनवरी को कैलाश कोहली को गोली मार दी गई थी। जसकानी ने कहा, ''आरोपी के घटनास्थल से फरार होने और भूमिगत हो जाने के बाद इस मामले में एक विशेष टीम का गठन किया गया था लेकिन हमने आखिरकार उसे कल रात हैदराबाद के फतेह चौक इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

हाईवा की टक्कर से शिक्षिका की मौत

दुर्ग, 11 जनवरी (हाईवे चैनल)। जिले के पाटन भखारा कुरूद मार्ग पर ग्राम कौही के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान ४८ वर्षीय मधुबाला चंद्राकर के रूप में हुई है। वे कुरूद की रहने वाली थीं और ग्राम बगौद स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। मधुबाला अपने एक्टिवा वाहन से अपने मायके ग्राम आमालोरी जा रही थीं। जैसे ही वे ग्राम कौही के पास एक मोड़ पर पहुंचीं, तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने उनकी ए1टवा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वे सड़क पर गिर पड़ीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके पर ही रुक गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों की मदद से उन्हें तुरंत पाटन शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मधुबाला के परिवार में दो बेटियां हैं और उनके पति किसान हैं। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

फाइनेंस कंसल्टेंसी की आड़ में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 3.08 करोड़ की ठगी

■ आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग, 11 जनवरी (हाईवे चैनल)। सुपेला पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी ने अग्रसेन चौक नेहरू नगर सुपेला में फाइनेंस अप इनवेस्टमेंट कंसल्टेंसी के नाम से कार्यालय खोलकर निवेशकों को हर माह ६ प्रतिशत मुनाफे का लालच दिया और भारी रकम निवेश कराई।

मामले की रिपोर्ट ९ अक्टूबर २०२५ को दर्ज की गई थी। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि मार्च २०२५ में उसकी पहचान हार्दिक कुदेषिया निवासी शांति नगर भिलाई से हुई थी। हार्दिक ने खुद को ट्रेडिंग ए1सपर्ट बताते हुए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर प्रतिमाह ६ प्रतिशत ब्याज देने का भरोसा दिलाया। उसके झांसे में आकर प्रार्थी ने अपने और अपने पिता अनुराग साहू के खातों से ऑनलाइन और नकद माध्यम से कुल २० लाख रुपये निवेश किए। शुरुआत में नियमित रूप से ब्याज की राशि मिलती रही, जिससे विश्वास और गहरा हो गया। इसके बाद प्रार्थी के पिता भुषण लाल साहू ने भी आरोपी के कहने पर उसकी मां के खाते में ४ लाख रुपये जमा कराए। अप्रैल से अक्टूबर २०२५ तक 4याज मिलता रहा, लेकिन नवंबर २०२५ में अचानक 4याज आना बंद हो गया। जब प्रार्थी अग्रसेन चौक स्थित कार्यालय पहुंचा तो पाया कि ऑफिस बंद है। आसपास पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि हार्दिक कुदेषिया कई निवेशकों की रकम लेकर फरार हो गया है। इसके बाद प्रार्थी ने थाना सुपेला में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने वर्ष २०२४ में फाइनेंस अप इनवेस्टर एंड कंसल्टेंसी के नाम से कार्यालय खोलकर अपने साथियों के माध्यम से निवेशकों से इकरारनामा कराए। निवेशकों से जमा की गई रकम पर ६ प्रतिशत मासिक मुनाफा दिया जाता था, जबकि निवेश लाने वाले साथियों को ३ प्रतिशत कमीशन दिया जाता था। शेष मूलधन आरोपी अपने पास रखता था।

आरोपी बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक के खातों में निवेशकों से रकम जमा कराता था। वह अपने मोबाइल में बाइनेस ऐप डाउनलोड कर भारतीय रुपये को डॉलर में बदलकर क्रिप्टो ट्रेडिंग करता था। ट्रेड से प्राप्त लाभ को दोबारा भारतीय मुद्रा में बदलकर अपने विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करता था। करीब ४ से ५ महीने तक वह इस तरीके से ट्रेडिंग करता रहा।

सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड

बलरामपुर में जमी ओस बर्फ में तब्दील, 3 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना

रायपुर, 11 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड का असर जारी है। बलरामपुर जिले में ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील होती नजर आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी तीन दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। इसके बाद एक बार फिर तापमान में गिरावट आ सकती है। यह बदलाव मौसमीय सिस्टम में परिवर्तन का कारण बताया जा रहा है।

राजधानी रायपुर में सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में यात्रा के दौरान वाहनों की गति धीमी रखने और हेडलाइट अथवा हैजर्ड लाइट के उपयोग की सलाह दी गई है। साथ ही सुबह के समय बुजुर्गों और बच्चों को गर्म कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है, क्योंकि न्यूनतम तापमान औसतन 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया।

नशीले पदार्थों की अवैध फैक्टरी का भंडाफोड़, 10 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त

नई दिल्ली, 11 जनवरी (न्यूज चैनल)। पुलिस ने मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले में अवैध रूप से नशीले पदार्थ बनाने वाली इकाई का भंडाफोड़ कर करीब 10 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन जब्त की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि यह फैक्टरी जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर इंदौर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक फार्महाउस में संचालित की जा रही थी। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की उज्जैन इकाई के अधीक्षक मुकेश खत्री ने बताया कि सीबीएन को खुफिया सूचना मिली थी कि आमला गांव स्थित तीर्थ हर्बल नर्सरी फार्महाउस में मेफेड्रोन का निर्माण किया जा रहा है और किसी व्यक्ति द्वारा बड़ी खेप लेने आने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि उज्जैन, जावरा और नीमच इकाइयों की संयुक्त टीम ने तड़के करीब चार बजे मौके पर पहुंचकर परिसर को चारों ओर से घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया लेकिन सुबह 10 बजे तक कोई भी व्यक्ति खेप लेने नहीं पहुंचा। खत्री ने बताया कि तलाशी के दौरान 31.25 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त की गई जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है तथा इस दौरान मादक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त करीब 600 किलोग्राम रसायन जब्त किए गए। खत्री और सीबीएन के एक अन्य अधिकारी वी.एस. कुमार ने बताया कि मौके से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

ईरान में खामेनेई सरकार का फरमान, प्रदर्शनकारी 'खुदा के दुश्मन', मिलेगी मौत की सजा!

देश भर में फैला असंतोष इंटरनेट पर पाबंदी

नई दिल्ली, 11 जनवरी (न्यूज चैनल)। ईरान में पिछले दो हफ्तों से चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच, अयातुल्ला खामेनेई की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। देश के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि प्रदर्शनों में शामिल होने वाले लोगों को 'भगवान का दुश्मन' माना जाएगा। ईरान के कानून के मुताबिक, इस अपराध के लिए मौत की सजा दी जा सकती है।

ईरान में इस वक्त हालात का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि सरकार ने इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके बावजूद, रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक लगभग 116 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह विरोध प्रदर्शन केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि तेहरान समेत ईरान के कई बड़े शहरों में फैल चुका है। चहारमहल, बख्तियारी और केरमानशाह जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा हिंसा और मौतें दर्ज की गई हैं। प्रदर्शन की शुरुआत पिछले महीने ईरान में बढ़ती महंगाई, पैसों की गिरती कीमत और खराब जीवन स्तर के विरोध में हुई थी। ईरान में पिछले तीन दिनों से इंटरनेट ठप्प है, जिससे लोग अपने परिवार वालों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और न ही दुनिया को वहां की सही स्थिति पता चल पा रही है। केवल कुछ सरकारी मीडिया चैनलों को ही काम करने की अनुमति दी गई है। मानवाधिकार संस्थाओं का कहना है कि इंटरनेट बंद होने के कारण असल मौतों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इधर ईरान के पूर्व राजा के बेटे, रजा पहलवी की एक अपील के बाद प्रदर्शनों ने और जोर पकड़ लिया है। निर्वासन में रह रहे पहलवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर लोगों से न केवल सड़कों पर उतरने, बल्कि शहरों के मुख्य केंद्रों पर कब्जा करने और उन्हें अपने नियंत्रण में लेने की अपील की है।

CMYK